सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी —भंवर लाल आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः—31.12.2008

वाद संख्याः—76 / 2015

1. मोटाराम पुत्र हीराराम उर्फ सूण्डा
2. रायचन्दराम पुत्र हीराराम उर्फ सूण्डा
3. हनुमान पुत्र हीराराम उर्फ सूण्डा
4. भाखराराम पुत्र हीराराम उर्फ सूण्डा
   जाति विश्नोई निवासी भादूओं की बेरी, कातरला, तहसील गुड़ामालानी वर्तमान धोरीमना जिला बाड़मेर वर्तमान बालोतरा

............................वादीगण

बनाम

1. सोनाराम पुत्र सुरताराम
2. लाखाराम पुत्र सुरताराम
3. धडू उर्फ धूड़िया पुत्र पोकरराम
   जाति विश्नोई निवासी भादूओं की बेरी, कातरला, तहसील गुड़ामालानी वर्तमान धोरीमना जिला बाड़मेर वर्तमान बालोतरा
4. तहसीलदार गुड़ामालानी वर्तमान धोरीमन्ना

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री गंगाराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री रामजीवण विश्नोई(3)
श्री मदनलाल सिंघल(1,2)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—28.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा पोकरराम के उतराधिकारी है। जिनमा वंश वृक्षावली निम्न प्रकार हैः—

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

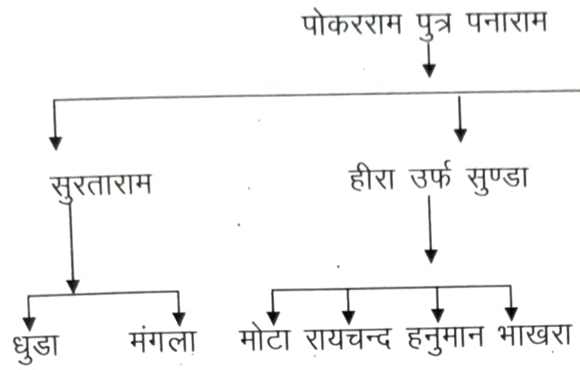

- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा—काश्त की भूमि मौजा—कातरला, वर्तमान राजस्व ग्राम—भादुओं की बेरी, तहसील—गुड़ामालानी में खसरा संख्या 185 रकबा 110 बीघा 05 बिस्वा किस्म—बारानी सियाम व खसरा संख्या 184 रकबा 10 बिस्वा गै.मु. ढाणी कुल रकबा 110 बीघा 15 बिस्वा आई हुई है। इस भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा कब्जे—काश्त का है तथा इसी हिस्से माफिक पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।
- कि वक्त भू—बंदोबस्त वादग्रस्त खेतान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता व वादीगण के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने पैमाईश अधिकारियों के साथ रहकर नपवाया था और चौन—मेन का खर्च भी संयुक्त रूप से वहन किया गया था। चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता सुरताराम बड़े भाई थे और बंदोबस्त अधिकारियों से सांठ—गांठ कर दुर्भावनापूर्वक वादग्रस्त खेत स्वयं अकेले के नाम से खातेदारी में दर्ज करवा दिया, जिसकी जानकारी तत्समय वादीगण के पिता हीराराम उर्फ सुण्डा अथवा प्रतिवादी संख्या 3 को नहीं हो पाई, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर तत्समय तीनों भाइयों का संयुक्त रूप से कब्जा—काश्त था।
- कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता सुरताराम का देहावसान होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तकरण के प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज हुई, जबकि वादग्रस्त खेतान में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का संयुक्त कब्जा—काश्त लगातार चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपना 1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है, जिस हेतु यह वाद पेश है।
- कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि में खातेदारी दर्ज न होने की जानकारी पूर्व में नहीं हो पाई, क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता ने अपने जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से कब्जा—काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं की और निर्विवाद रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपने—अपने हिस्से पर काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण की रिहायशी ढाणी, टांके, चारवाडे इत्यादि बने हुए है, जो वर्षों से प्रयोग में लिये जाते रहे है। चूंकि इस भूमि के अलावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

अलावा अन्य भाइयों के नाम से संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा–कातरला में आई हुई है, जिसमें स्थायी रूप से वादीगण की ढाणियां बनी हुई है, उक्त भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।

- कि हाल ही में अर्सा छः माह पूर्व जब वादीगण ने अपने हिस्से एवं कब्जा–काश्त की भूमि वादग्रस्त को विकसित करवाने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कागजात मय जमाबंदी की नकला हल्का पटवारी से मांगी तो हल्का पटवारी द्वारा ज्ञान करवाया गया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का नाम वादग्रस्त खेतान की खातेदारी में दर्ज नहीं है, तब वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को निवेदन किया कि वे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही में सहयोग करे, तब प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने आश्वासन दिया, लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 टालमटोल कर रहे है तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी नियत साफ नहीं है और वे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए वादीगण को वादग्रस्त भूमि में अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश करना जरूरी हो गया है।
- कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पिछले एक माह से यह भी धमकियां दे रहे है कि वे वादग्रस्त भूमि को किसी ताकतवर व्यक्तियों को बेचवान के जरिये या अन्य तरीके से अंतरण करवा देगे और वे उनकी मदद से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देगे, यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ऐसा करने में सफल हो गये तो वादीगण को बड़ी भारी आर्थिक हानि होगी और वादीगण को बेदखल किये जाने की सूरत में पुनः कब्जा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग का किसी भी प्रकार से बेचवान, अंतरण, रहन इत्यादि नहीं करे, मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, जिस हेतु यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है।
- कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य मौके पर बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन कई वर्ष पूर्व हो चुका है और वादीगण अपने 1/3 हिस्से के भाग पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है, इसलिए वादीगण अपने 1/3 हिस्से की भूमि को बाई मिटस एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने के अधिकारी है, जिस हेतु यह वाद पेश है।
- कि बिनाबदवा सर्वप्रथम वादग्रस्त भूमि पैमाईश के समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता सुरताराम पुत्र पोकरराम के नाम दर्ज हुई और वादीगण के पिता हीराराम व प्रतिवादी संख्या 3 घडू उर्फ घड़िया का नाम खातेदारी में दर्ज करने से छोड़ दिया गया तब व तत्पश्चात खातेदार सुरताराम के देहावसान होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज हुई, तब–तब व पक्षकारान के मध्य अर्सा पांच वर्ष पूर्व वादग्रस्त भूमि का विभाजन हुआ और वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के कब्जा–काश्त में दखलंदाजी की जाने लगी व भूमि बेचवान करने की

सहायक कलक्टर
SDO बोरीमना

धमकियां दी जाने लगी, तब–तब बमुकाम–भादुओं की बेरी (कातरला) तहसील–गुड़ामालानी में पैदा हुआ।

- कि प्रतिवादी संख्या 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी भूमिपति होने से विभाजन के बाद में आवश्यक पक्षकार बनाये गये है, जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की इरतदुआ चाही नहीं है, इसलिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना ही वाद प्रस्तुत है।
- कि दावा न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार का है और न्यायशुल्क के रूप में धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार निश्चित न्यायशुल्क रूपये 3/– के मुद्रांक साथ पेश है।
- कि वादीगण की प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 निम्नानुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे रू–
- (क) कि तहसील–गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम–भादुओं की बेरी के खेत खसरा संख्या 184 रकबा 10 बिस्वा गै.मु. ढाणी व खसरा संख्या 185 रकबा 110 बीघा 05 बिस्वा बा.सो. कुल रकबा 110 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के साथ सह–खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त खेत में 1/3 हिस्सा वादीगण का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी घोषित की जावे।
- (ख) कि स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त खेतान में वादीगण के कब्जा–काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे और प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग को बेचवान, अंतरण, रहन इत्यादि नहीं करे, मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
- (ग) कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के 1/3 हिस्सा का विभाजन बाई मित्स एण्ड बाउण्ड किया जावे व राजस्व रेकॉर्ड में आवश्यक संशोधन किया ज़ावे।
- (घ) कि वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से दिलाया जावे।
- (ड़) कि अन्य कोई सहायता जो बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण साबित हो, वह वादीगण को दिलाई जावे।

2. कि वाद पत्र दिनांक 31.12.2008 को तत्समय न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़मालानी में वाद संख्या 386/08 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 13.05.2010 को प्रतिवादीगण संख्या 3 के सम्मन विधिवत तामिली के अनुपस्थित न्यायालय होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 15.12.2011 को अपना जवाबदावा पेश किया। दिनांक 01.04.2015 को पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी से स्थानान्तरित होकर नव गठित न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमना को स्थानान्तरित होने पर हाजा न्यायालय में वाद संख्या 76/2015 दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 को सम्मन पुनः जारी किया गया। दिनांक 12.04.2016 को प्रतिवादी संख्या 3 का जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिशल किया गया।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

3. तत्पश्चात दिनांक 28.02.2017 को पत्रावली में तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1- आया ग्राम भादुओ की बेरी के खेत खसरा नम्बर 184 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 185 रकबा 110 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 110 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण को प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के साथ सह खातेदारी में 1/3 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

...............जिम्मे वादीगण

2- कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के वादग्रस्त खेतान में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे न ही भूमि के किसी भाग का बेचवान, अंतरण, रहन इत्यादि करे। निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं।

.................जिम्मे वादीगण

3- कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण 1/3 हिस्से का विभाजन 'बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड' करवाने के अधिकारी है।

..................जिम्मे वादीगण

4- कि आया ग्राम भादुओ की बेरी के खेत खसरा नम्बर 184 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 185 रकबा 110 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 110 बीघा 15 बिस्वा भूमि अकेल प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की खातेदारी की है।

.............जिम्मे प्रतिवादी 1,2

5- कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 अपनी खातेदारी के वादग्रस्त खेत बेचवान या हस्तांतरण करने के अधिकारी हैं।

.............जिम्मे प्रतिवादी 1, 2

6- कि वादग्रस्त खेतों में वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 का खातेदारी अधिकार नहीं होने से विभाजन करवाने के अधिकारी नहीं है।

..........जिम्मे प्रतिवादी 1, 2

4. पत्रावली में बाद तनकीयात वादी साक्ष्य नियत किये जाने पर पत्रावली में वादी साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न शपथ पत्र, गवाह एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाऐ।

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खेत खसरा संख्या 184, 185 मौजा भादूओं की बेरी संवत् 2059 से 2062	प्रदर्श–1
जमाबंदी	खेत खसरा संख्या 184, 185 मौजा कातरता संवत् 2013 से 2016	प्रदर्श–2
जमाबंदी	खेत खसरा संख्या 184, 185 मौजा भादूओं की बेरी संवत् 2059 से 2062	प्रदर्श–3
जमाबंदी	खेत खसरा संख्या 30, 114, 116/1, 116/2 मौजा कातरला खिलेरियान संवत् 2063 से 2066	प्रदर्श–4
खतौनी बन्दोबस्त	खेत खसरा संख्या 30,116, 113, 114, 115 मौजा कातरला संवत् 2012 से 2039	प्रदर्श–5

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

प्रकरण में वादीनी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी
मोटाराम पुत्र हीराराम	विश्नोई	भादुओं की बेरी
धर्माराम पुत्र फगलूराम	विश्नोई	भादुओं की बेरी
भाखराराम पुत्र हिराराम	विश्नोई	भादुओं की बेरी
सदराम पिता कानाराम	विश्नोई	कातरला खिलेरियान

7. बहसः– दौराने बहस वादीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा–काश्त की भूमि मौजा–कातरला, वर्तमान राजस्व ग्राम–भादुओं की बेरी, तहसील–गुड़ामालानी में खसरा संख्या 185 रकबा 110 बीघा 05 बिस्वा किस्म–बारानी सियाम व खसरा संख्या 184 रकबा 10 बिस्वा गै.मु. ढाणी कुल रकबा 110 बीघा 15 बिस्वा आई थी। इस भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा कब्जे–काश्त का था तथा अपने अपने हिस्से माफिक पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों की भूल से उक्त आराजी में केवल प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता के नाम दर्ज हो गई जबकि उसमें तीनों भाईयों का कब्जा काश्त होने से तीनों भाईयों के नाम 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना था। वादीगण कब्जा काश्त अनुसार 1/3 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 के अधिवक्ता ने इकबाली जवाबदावा होने का कथन कर वाद को स्वीकार किये जाने का कथन किया। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता अनुपस्थित न्यायालय रहे।

8. वाद का विश्लेषण पैरा वाईजः–हस्तगत वाद में वादीगण ने पैरा संख्या 1 मे खानदानी सजरा दर्शाया गया है जिसमें पोकरराम के तीन पुत्र सुरताराम , हीरा उर्फ सूण्डा व धडू उर्फ धूड़िया बताये गये है। पैरा संख्या 2 में वादीगण ने उक्त आराजी में वक्त सैटलमेन्ट सुरता,हीरा व धडू का कब्जा काश्त होना बताया गया है तथा कब्जे काश्त अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है का कथन किया है। पैरा संख्या 3 में प्रतिवादीगण 2 के पिता द्वारा सांठ गांठ कर दुर्भावनापूर्वक वादग्रस्त खेत स्वयं अकेले के नाम करवा दिया जिसकी जानकारी वादीगण के पिता को नहीं हो पाई। पैरा संख्या 5 में वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कातरला में आई हुई है जिसमें वादीगण की ढाणियां बनी हुई है जिसके संबंध में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। पैरा संख्या 7 में प्रतिवादीगण उक्त आराजी को अन्य को बेचान करने, वादीगण को बेकब्जा करने में सफल होते है तो भारी हानि कारित होगी इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्व मौका व रेकर्ड की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का निवेदन किया गया है। साथ ही अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने का कथन किया। पैरा संख्या 9 में वाद कारण बमुकाम भादुओं की बेरी कातरला तहसील गुड़ामालानी वर्तमान धोरीमना में पैदा होने का कथन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
SDO धोरीमना

दीगण द्वारा उक्त पैरा अनुसार दावे को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावें के आधार पर तनकीयात कायम की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे के समर्थन में प्रस्तुत गवाहान व साक्ष्य शपथ पत्र के साथ प्रदर्शित प्रर्दशनों का विश्लेषण तनकीवार इस प्रकार है:–

I. तनकी संख्या 1 में खसरा संख्या 185 रकबा 110–05 बीघा व खसरा संख्या 184 रकबा 10 बिस्वा किस्म गै.मु.ढाणी में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1व 2 के साथ 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित करने के संबंध में वादीगण ने वक्त सैटलमेन्ट उक्त आराजी सुरताराम के नाम पर्चा लगान जारी होने का पर्चा लगान प्रस्तुत किया है तथा दावें में कथन किया है कि शेष अन्य आराजी मौजा कातरला खिलेरियान के खसरा संख्या 30, 114, 116 में भी वादीगण का हिस्सा होना साबित है जिसके आधार पर उक्त आराजी में भी वादीगण का हिस्सा बनता है। उक्त तनकी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दोनों खेतों में गै.मु.ढाणी अर्थात दोनों खेतों में वक्त सेटलमेन्ट अलग–अलग कब्जा काश्त थे। निष्कर्ष यह है कि सेटलमेन्ट से पहले ही सुरता अपने हिस्से को प्राप्त कर अलग काश्त कर रहा था जबकि पिता पोकर शेष भाईयों के साथ कब्जा काश्त थे। खसरा नंबर 185 में सेटलमेन्ट के समय सभी का सघन कब्जा काश्त होने से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं। सेटलमेन्ट के बाद भी कब्जे के सबूत के तौर पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। साबित नहीं होने से तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

II. तनकी संख्या 2 वाद में वादी के पक्ष में घोषणा नहीं होने से तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

III. तनकी संख्या 3 में वादीगण का उक्त आराजी में अधिकार नहीं होने से बंटवारा नहीं किया जा सकता लिहाजा तनकी संख्या 3 वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

IV. तनकी संख्या 4 वादी का दावा साबित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1,2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

V. तनकी संख्या 5 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

VI. तनकी संख्या 6 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

10. निष्कर्ष:–वादीगण उक्त विवादित आराजी मौजा भादुओं की ढाणी तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 185 व 184 में वक्त सेटलमेन्ट से वादीगण का कब्जा काश्त होने के संबंध में साक्ष्य स्वरूप ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे उक्त खसरान में वादीगण का कब्जा काश्त साबित हो। उक्त खसरान की वक्त बन्दौबस्त खतौनी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं करने से यह साबित नहीं होता है कि वक्त सेटलमेन्ट उक्त आराजी में वादीगण का कब्जा काश्त था। वादीगण द्वारा अन्य खेत मौजा कातरला खिलेरियान की वक्त सेटलमेन्ट खतौनी बन्दोबस्त पेश किया है जिसके आधार पर मौजा भादूओं की बेरी की उक्त आराजी में भी वादीगण का 1/3 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी होने का कथन किया है लेकिन साक्ष्य, सबूतों,दस्तावेजों से यह साबित करने में विफल रहे है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ वादीगण द्वारा साबित नहीं हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत उक्त विवादित आराजीयात में वादीगण का वक्त

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

सेटलमेन्ट से आज तक अनवरत कब्जा साक्ष्य सबूतों से साबित करना था जिसके संबंध में प्रदर्शित दस्तावेजों से वादीगण कब्जा साबित करवाने में विफल रहे है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर दावे के भलीभांती साबित नहीं होने से दावें को अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाना उचित समझते है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क अर्न्तगत सेटलमेन्ट से गलत होने व आराजीयात में वादीगण के कब्जे को वादीगण द्वारा साबित नहीं होने से वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहानों एवं प्रदर्शित दस्तावेजों से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 28.04.2026 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(भंवर लालआर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बालोतरा

सत्यमेव जयते

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20,रूल्स 6,7,सीपीसी)

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भंवर लालआर.ए.एस.)

वाद संख्याः–76 / 2015 दर्ज तिथिः–31.12.2008

1. मोटाराम पुत्र हीराराम उर्फ सूण्डा
2. रायचन्दराम पुत्र हीराराम उर्फ सूण्डा
3. हनुमान पुत्र हीराराम उर्फ सूण्डा
4. भाखराराम पुत्र हीराराम उर्फ सूण्डा
   जाति विश्नोई निवासी भादूओं की बेरी, कातरला, तहसील गुड़ामालानी वर्तमान धोरीमना जिला बाड़मेर वर्तमान बालोतरा

............................वादीगण

बनाम

1. सोनाराम पुत्र सुरताराम
2. लाखाराम पुत्र सुरताराम
3. धडू उर्फ धूड़िया पुत्र पोकरराम
   जाति विश्नोई निवासी भादूओं की बेरी, कातरला, तहसील गुड़ामालानी वर्तमान धोरीमना जिला बाड़मेर वर्तमान बालोतरा
4. तहसीलदार गुड़ामालानी वर्तमान धोरीमन्ना

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री गंगाराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः–रामजीवण विश्नोई(3)
मदनलाल सिंगल(1,2)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

मोटाराम बनाम सोनाराम
2008 / 00019
निर्णय दिनांकः–28.04.2026

–:पर्चा डिक्रीः–

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क अन्तर्गत सेटलमेन्ट से गलत होने व आराजीयात में वादीगण के कब्जे को वादीगण द्वारा साबित नहीं होने से वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहानों एवं प्रदर्शित दस्तावेजों से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना, बालोतरा

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना